

फर्द अहकाम

(नियम 26)

राज अदालत... मुकाम...
 ... बानाम...
 केस नुक्रमा... नं. 132 सन...
 RTI Act

8-11-16	पत्रावली पेश हुई। कौल वादी श्री रॉलेड जॉन के पेश किया- रिपोर्ट सविस्तर देखी गई लक्षण फर्द रजिस्टर होकर नोपेस जारी हो. विमल दिनांक 30-11-16 को पेश हो।
30-11-16	पत्रावली पेश हुई। कौल वादी टाक्टर / लारिकाडी टाक्टर नहीं, अर्थात् चौधरी के सु. सं. पेश की. विमल दिनांक 17-1-17 को पेश हो।
17-1-17	पत्रावली पेश हुई। कौल वादी लारिकाडी टाक्टर / श्री अर्थात् जाल के लारिकाडी सं. 1 श्री कौर से अज्ञात नामा लखनूर किया है, लारिकाडी सं. 2 सं. 4 के सु. सं. लखनूर की अज्ञात 7 अज्ञात नामा लखनूर करने हेतु केस अज्ञात दिनांक जारी है दिनांक 28-2-17 को पेश हो।
28-2-17	पत्रावली पेश हुई। कौल वादी लारिकाडी टाक्टर / कौल पेश करने अज्ञात विमल दिनांक 15-3-17 को पेश हो।
15-3-17	पत्रावली पेश हुई। कौल वादी टाक्टर / अन्य की अज्ञात अज्ञात नामा लखनूर करने हेतु 7 अज्ञात के सु. सं. अज्ञात चौधरी के अज्ञात अज्ञात दिनांक जारी है दिनांक 27-4-17 को पेश हो।
27-4-17	राजस्व लोक अदालत न्याय आर्क के द्वार अधिकांश 2017 के लक्षण राजस्व केस में राजीनामा हेतु दि. 24.6.17 प्रा. सं. जारी को पेश हो।
24-6-17	पत्रावली पेश हुई। कौल वादी टाक्टर / वादी सं. 3 टाक्टर सुना गया- अज्ञात के लक्षण इस अज्ञात है कि लक्षण अज्ञात की अज्ञात संवत्- 2070-73 के अज्ञात है.

राज
 नाम
 डोने
 170-73 के अज्ञात
 1. अज्ञात सं. 1/17
 लखनूर अज्ञात
 पेश किया जाता है
 अज्ञात के अज्ञात अज्ञात
 पेश कोर पुन

पत्रावली
 सं. 4 अज्ञात
 पुन

रुपया


के. वाराण


रतन
 रामरतन


नया-पुराना 392-1 दूसरा नम्बर 7058/850 रकबा 5.00.00
 वा.2 तथा थाला लिनया-पुराना 1-1 दूसरा नं. 850/328
 रकबा 3.00.00 लीया है वादीगण के कब्जे कारन में चली आ रही है
 प्रतिवादीगण ने दिनांक 24-10-16 को दिन के 3.00 बजे के लगभग जबरन कब्जे
 से ड्रेस्टर लाकर वादबर्तित उक्त आगामीयात में जबरन नक्शा कर वादीगण को
 उक्त आगामीयात को हाँकने का प्रयास करने लगे अतः यह दावा प्रेषा किया है
 प्रतिवादी सं. 1 व 2 ने उपस्थित होकर बताया कि वादबर्तित आगामीयात से
 उनका कोई लेना देना नहीं है। एपारें खिलाफ व वादीगण के पक्ष में बस
 आगामी को लेकर स्थायी निर्बंधासा जारी की जाती है तो हम आपत्ति
 नहीं है।

अतः प्रतिवादी 1 लगायत 5 उनके अधिनस्थ असायनिक - वादिलगण
 निरलेदार, मजदूर एवं श्रमिकगण, हितैषी एवं मुख्यतार भाग रत्यादि को जरिये
 स्थायी निर्बंधासा प्रबन्ध किया जाता है कि वे शर्पना प्रवृत्ति के बर्तित
 आगामीयात को लोधी के कब्जे करार स्थायित्व व आधिपत्य की आगामी
 है जिसमें श्रमिकगण के शक्तिपूर्ण कब्जे करार से किसी तरह की बाधा उत्पन्न
 नहीं करे व ही जबरन आगामी प्रकृष्टा करे व ही वादीगण को जबरन
 नक़्खल करे व ही संसा कोई हल्य कादित करे जिससे वादीगण के हितों
 को नुकसान पहुँचे। खर्चा फकिरेन अपना अपना वहन करे/उडि विचजिगी है।

भाड़ेरा अल्ल अटल लेका करारी में मजसे भाय में न्याय
 आपके डार विधि 2017 में सुनाया गया।


लोक अदालत विधि
 अजमेर (अजमेर)


लोक अदालत विधि
 अजमेर (अजमेर)।


लोक अदालत विधि
 अजमेर (अजमेर)